वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)
भाग–4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर द्वारा बिलासपुर जिले के मुंगेली वनमण्डल अंतर्गत 0.063 हे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 0.063 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 19/08/2020
स्थानः अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़ रायपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2512840 ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–828/1650 नया रायपुर, दिनांक07 /09/2020

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Mungeli Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 0.063 ha. regarding**

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/तक/ 1559 दिनांक 04.07.2020

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षणं अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	**आवेदक विभाग का मांग पत्र–** आवेदनकर्ता, प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर छ.ग. द्वारा मुंगेली वन मंडल अंतर्गत लोरमी ब्लाक के परिक्षेत्र खुरिया के वन भूमि रकबा 0.063 के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित पर निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत है।	1
2.	**रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः–** रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/ CG/ OFC/42453/2019 आबंटित किए गए है। आनलाईन एक्नालेजमेंट स्लिप की छाया प्रति संलग्न हैं।	2
3.	**वन क्षेत्र विवरणः–** आवेदनकर्ता प्राधिकृत अधिकारी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड,छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा मुंगेली वन मंडल अंतर्गत लोरमी ब्लाक के परिक्षेत्र खुरिया के वन भूमि रकबा 0.063 के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत प्रस्तावित है।	3-4
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरणः**–ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 19.962	5
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल परः–** ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का टोपोशीट 1:50000 स्केल पर मानचित्र संलग्न है।	6-7
6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः–** ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का **1:15000 स्केल पर इंडेक्स मैप संलग्न है।**	8-14

DIC

7.	**प्रपत्र–4 में प्रस्तावः–** भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट (A Part of Digital India) के अंतर्गत संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स),रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा मुंगेली जिला के मुंगेली वनमण्डल क्षेत्र अंतर्गत अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट –ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित 0.024 हे. वनभूमि एवं 0.039 हे. राजस्व वनभूमि कुल वनभूमि रकबा 0.063 हे. वनभूमि प्रस्तावित है।	18-30
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः–** भारतनेट,जिसे भारत ब्राडबैड नेटवर्क लिमिटेड के रूप में भी जाना जाता है एक दूरसंचार अवसंरचना प्रदाता है, जिसे भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालन किया जाता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इस परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी द्वारा ब्लांक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जायेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लांक ,5987 ग्राम पंचायतों जोड़कर उच्च गति ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।	31-33
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः–** न्यूनतम वन क्षेत्र की उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	34
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदारों अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः–** इस प्रस्ताव के अंतर्गत किसी प्रकार के अधिनियम उल्लंघन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है एवं उनके विरूध्द किसी प्रकार के अधिनियम उल्लघंन की गयी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	35
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगाः–** भाग–1 भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना भारतनेट प्रोजेक्ट फेस **–II के अंतर्गत** ऑप्टिकल फायबर केबर बिछाने हेतु प्रभावित 0.024 हे. वनभूमि एवं 0.039 हे.राजस्व कुल वनभूमि रकबा 0.063 हे. वनभूमि की आवश्यकता हैं। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना है। भाग–2 मुंगेली वनमंडल में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि निम्नानुसार है आरक्षित वन 0.020 हे. संरक्षित वन 0.004हे. राजस्व वन 0.039 हे.कुल वनभूमि रकबा 0.063 हे.है। परियोजना की कुल लागत 35 करोड़ 08 लाख रूपये है। शासन के निर्देशानुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग (ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु) अनुमति प्रदान की जा सकती है।	36-45
12.	**ऐतिहासिक प्रमाण पत्रः–** ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने में ऐतिहासिक स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहे है।	46
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तिसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** लोरमी ब्लांक के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लांक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गो के मौजूदा राईट –ऑफ–वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	47-50
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. मेंः–** मुंगेली जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) वन भूमि रकबा 107349.000 हे. है।	51
15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. मेंः–** व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा 25.000 हे. है।	52
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी Catagory की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. मेंः–** व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भुमि निरंक है।	53
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का**	54

	चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):– प्रस्तावित 0.033 हे. वनक्षेत्रा अचानकमार टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र से 10 कि.मी. की परिधि में स्थित है तथा उक्त क्षेत्र वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर में स्थित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्रा से अचानकमार टाईगर रिजर्व की सीमा से दूरी 3.5 से 4 कि.मी. है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति स्थापित नहीं है।	
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा).। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर मुंगेली द्वारा वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 11.11.2019 जारी किया गया है। वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न हैं।	55-56
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर मुंगेली का दिनांक 11.11.2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के पृ.क 55 से 56 में संलग्न है।	57-59
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण: (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** प्रस्ताव के पेज क्रमांक 60 में पंजीयन/प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण संलग्न है।	60
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणि) छत्तीसगढ की अनुसंशा:–** ऑप्टिकल फायबर केबर लाईन बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उधान/वन्यप्राणी अभ्यारण क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है। अतः प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	61-77

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(प्र.मु.व.संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़